फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 04/2021 युआईटी (जीसीएमएस/2021/84) **पुखराज धोका भागीदार मैसर्स सनराईज पैराडाईज बनाम मैसर्स श्री डवलपर्स जरिये पार्टनर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13/09/22

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री कमलेश चौहान – वकील अपीलार्थी
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा – वकील प्रत्यर्थी-1
3. श्री दिलीप कुमार सुथार – वकील प्रत्यर्थी-2

अपील बनाराजगी प्रोविजलन निर्माण स्वीकृति कमांक एफ-7 ( )युआईटी/बी प्लान/2021/1663 दिनांक 10.06.2021 द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर अन्तर्गत धारा 73(9) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम

निर्णय

दिनांक 13/09/2022

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा जारी प्रोविजलन निर्माण स्वीकृति कमांक एफ-7( )युआईटी/बी प्लान/2021/1663 दिनांक 10.06.2021 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 73(9) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर समक्ष वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 मैसर्स श्रीजी डवलपर्स द्वारा दिनांक 21.12.2020 एवं 19.02.2021 को प्रार्थना पत्र एवं मानचित्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम भुवाणा के खसरा संख्या 4822/4811, 4825/1906, 4827/1907, 4829/1908 में स्थित एकल भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 36366-00 वर्गफीट (3379.74 वर्गमीटर) आवासीय फ्लेट्स प्रयोजनार्थ बेसमेंट (पार्किंग) + स्टिल्ट (पार्किंग + सुविधाएं) + भूतल + दस तल (108 फ्लैट्स) से भवन निर्माण स्वीकृति चाही गई। उक्त प्रार्थना पत्र के कम में कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (उप नगर नियोजक, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर) द्वारा प्रोविजलन निर्माण स्वीकृति कमांक एफ-7( )युआईटी/बी

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 04/2021 युआईटी (जीसीएमएस/2021/84) **पुखराज धोका भागीदार मैसर्स सनराईज पैराडाईज बनाम मैसर्स श्री डवलपर्स जरिये पार्टनर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्लान/2021/1663 दिनांक 10.06.2021 को जारी की गई। कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (उप नगर नियोजक, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर) द्वारा जारी प्रोविजलन निर्माण स्वीकृति क्रमांक एफ–7( )युआईटी/बी प्लान/2021/1663 दिनांक 10.06.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 10.08.2021 को मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा–5 मयाद अधिनियम का पृथक से प्रस्तुत किया गया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 24.08.2021 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 22.08.2022 को सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि अपीलार्थी की भागीदारी फर्म मैसर्स सनसिटी पेराडाईज ने राजस्व ग्राम भुवाणा स्थित कृषि खसरा नम्बर 1822, 1905, 1906, 1907, 1908 कुल क्षेत्रफल 1.1400 हैक्टेयर पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 07.12.2011 से क्रय कर स्वत्व, स्वामित्व, खातेदारी अधिकार प्राप्त किया तब से फर्म के भागीदार की हैसियत से अपीलान्ट श्री पुखराज, भागीदार अरूण माण्डोत व श्री रविन्द्र कुमार सनाढ्य का स्वामित्व, आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त विक्रय विलेख को चुनौती देते हुए उसे निरस्त कराने बाबत श्री चुन्नीलाल पिता श्री कालुलाल जोशी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया और उसकी मृत्यु बाद उसके वारिसान के नाम प्रतिस्थापित किये गये। सुनवाई के दौरा फर्म के भागीदार श्री अरूण माण्डोत व श्री फतहलाल ने फर्म के अन्य भागीदारों को आर्थिक हानि पहुंचाने के प्रयोजन से दुरभिसंधी कर सुनियोजित तरिके से पहले समझौता करा लोक अदालत में सुलहनामा सम्पन्न करा दिनांक 21.08.2019 को राजीनामा का न्यायालय से डिक्री पारित करवा दी। मूल वाद के वादी द्वारा प्रार्थी पुखराज व श्री रविन्द्र सनाढ्य को न तो वाद में पक्षकार	

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 04/2021 युआईटी (जीसीएमएस/2021/84) **पुखराज धोका भागीदार मैसर्स सनराईज पैराडाईज बनाम मैसर्स श्री डवलपर्स जरिये पार्टनर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बनाया, न ही सुचना प्रेषित की। श्री अरूण माण्डोत जो कि इस भागीदारी फर्म का एक भागीदार है उसने भी अपने वैधानिक दायित्व के अनुपालन में न्यायाय में सूचना प्रस्तुत नहीं की। न ही फर्म द्वारा श्री अरूण माण्डौत के पक्ष में कोई अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ। उसे फर्म के किसी भी विवाद में प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया। बिना विधिवत हस्तांतरण के फर्म की सम्पत्ति में किसी अन्य पक्ष का हित सृजित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, परन्तु विधि के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अनाधिकृत रूप से मैसर्स अरिहन्त वास्तु निर्माण प्रा.लि. का फर्म की सम्पत्ति में हित व अधिकार सृजित किया गया है। कथित ईकरार/समझौता अवैध व लोक नीति के विरूद्ध है। प्रश्नगत समझौता व डिक्री दिनांक 21.08.2019 को निरस्त कराने बाबत एक पुनराविलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 जादी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में श्री रविन्द्र सनाढ्य को भी पक्षकार बनाया गया क्योंकि वह भागीदार था। परन्तु उक्त प्रकरण को दिनांक 11.12.2019 को श्री रविन्द्र व अन्य ने प्रार्थी की बिना जानकारी एवं सुने बिना उसके हित व अधिकारों का उल्लंघन करते हुए राजीनामा कर उक्त पुनराविलोकन प्रार्थना पत्र विड्रो कर लिया। उक्त प्रकरण में पेशी दिनांक 13.1.2019 को नियत थी परन्तु उक्त प्रकरण 11.12.2019 को ही विड्रो कर लिया। मार्च 2020 से कोरोना की वजह से प्रकरण में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। इसी का नाजायज लाभ उठाकर अरिहन्त वास्तु निर्माण प्रा.लि. के डायरेक्टर श्री मुकेश सुरेश गुन्देचा ने दिनांक 21.12.2020 को प्रोविजनल निर्माण स्वीकृत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और झुठा शपथ पत्र पेश कर निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर ली। उक्त निर्माण स्वीकृति की जानकारी अपीलार्थी को प्रातःकाल अखबार दिनांक 13.07.2021 को हुई और जानकारी होते ही प्रश्नगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर जारी निर्माण स्वीकृति दिनांक 10.06.2021 को निरस्त की जावें।	

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 04/2021 युआईटी (जीसीएमएस/2021/84) **पुखराज धोका भागीदार मैसर्स सनराईज पैराडाईज बनाम मैसर्स श्री डवलपर्स जरिये पार्टनर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खण्डन करते हुए अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपने अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के संबंध में जिस विक्रय पत्र का हवाला अपीलार्थी द्वारा दिया जा रहा है, वह विक्रय पत्र डिक्री दिनांक 21.08.2019 से निरस्त किया जा चुका है। उस डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी फर्म के भागीदारों द्वारा पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया जिससे राजीनामा के आधार पर विड्रो कर लिया और स्वयं अवगत कराया कि उनका इस भूमि से अब कोई संबंध नहीं रहा है। अतः अपीलार्थी का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही वह हितबद्ध पक्षकार है। भागीदारों द्वारा अपने आपसी विवाद के चलते वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 फर्म के विरूद्ध हस्तगत क्षेत्राधिकारविहिन अपील प्रस्तुत की गई जबकि यह अपील प्रस्तुत करने का उन्हे कोई अधिकार नहीं है। न ही अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई आज्ञा ली गई और प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का संलग्न किया गया। अतः प्रस्तुत अपील इस बिन्दु पर एवं गुणावगुण दौनों बिन्दुओं पर चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावें। अपने कथनों के समर्थन में **विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा दौराने बहस दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो इस निर्णय के निष्पादन में सहायक होने से शामिल पत्रावली किये गये।**

प्रत्यर्थी-2 नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रकिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अपीलार्थी की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु को विनिश्चित किया जाना उचित समझते हुए मयाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 04/2021 युआईटी (जीसीएमएस/2021/84) **पुखराज धोका भागीदार मैसर्स सनराईज पैराडाईज बनाम मैसर्स श्री डवलपर्स जरिये पार्टनर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	06.2021 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 10.08.2021 को अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मयाद के सम्बन्ध में कोविड-19 कोरोना काल के लाकडॉउन के कारण अपील देरी से दायर करने का उल्लेख किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **आदेश दिनांक 23.09.2021, मिसलेनियस एप्लीकेशन न. 665/221 इन एसएमडब्ल्यू (सी) न. 03/2020 में दिनांक 15.03.2020 से 02.10.2021** तक सभी तरह के प्रकरण में मयाद को क्षम्य करने हेतु आदेश किया है। उक्त आदेश की अनुपालना में हस्तगत प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को उपशमन किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट आया है कि अपीलार्थी की भागीदारी फर्म मैसर्स सनसिटी पेराडाईज ने राजस्व ग्राम भुवाणा स्थित कृषि खसरा नम्बर 1822, 1905, 1906, 1907, 1908 कुल क्षेत्रफल 1.1400 हैक्टेयर पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 07.12.2011 निष्पादित किया गया। उक्त विक्रय विलेख को चुनौती देते हुए उसे निरस्त कराने बाबत श्री चुन्नीलाल पिता श्री कालुलाल जोशी द्वारा न्यायालय में वाद माननीय अपन जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क.स.1, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत किया और उसकी मृत्यु बाद उसके वारिसान के नाम प्रतिस्थापित किये गये। उक्त वाद में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत में सुलहनामा सम्पन्न होने से दिनांक 21.08.2019 को राजीनामा के आधार पर न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई। उक्त डिक्री अनुसार विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2011 को चुनौती दी गई, जो डिक्री दिनांक 21.08.2019 से निष्प्रभावी हो गया। समझौता व डिक्री दिनांक 21.08.2019 को निरस्त कराने बाबत एक पुनराविलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 जादी को पुनः न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य पुनः राजीनामा होने उक्त पुनराविलोकन प्रार्थना पत्र विड्रो कर लिया। साथ ही प्रत्यर्थी-1 द्वारा	

उदयपुर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 04/2021 युआईटी (जीसीएमएस/2021/84) **पुखराज धोका भागीदार मैसर्स सनराईज पैराडाईज बनाम मैसर्स श्री डवलपर्स जरिये पार्टनर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत मैसर्स सनसिटी पैराडाईज की पार्टनरशिप डीड में भी फर्म की तरफ से कोई भी पार्टनर न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, इसका उल्लेख किया गया है तथा इसके अलावा भी पुखराज धोका द्वारा दिनांक 01.04.2014 को सनसिटी पेराडाईज से त्यागपत्र दिय जा चुका है, ऐसे में उक्त दिनांक उपरान्त श्री पुखराज धोका का मैसर्स सनसिटी पेराडाईज से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। उक्त स्थिति से यह प्रकट आया है कि अपीलार्थी द्वारा जिस विक्रय पत्र के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, वह सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अनुसार निष्प्रभावी व निरस्त किया जा चुका है। उक्त सभी कार्यवाही उपरान्त खातेदारों द्वारा प्रश्नगत भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 18.02.2020 प्रत्यर्थी-1 के पक्ष में किया गया और **उसके उपरान्त प्रत्यर्थी-1 द्वारा निर्धारित प्रकिया अनुरूप आवेदन मय शपथ पत्र इत्यादि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किये जिस पर निर्धारित प्रकिया का पालना करते हुए नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया जिसमें यह न्यायालय प्रथम दृष्टया कोई विधि त्रुटि नहीं पाता है। अपीलार्थी द्वारा यह भी सफलतापूर्वक खण्डन नहीं किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में क्या विधिक व प्रकियात्मक त्रुटि है। अतः अपील में गुणावगुण पर यह न्यायालय अपीलार्थी के तर्कों में कोई बल नहीं पाता है जिससे प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य है।**

उपरोक्त विवचेन के अलावा उपर्युक्त स्थिति से यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही वह आक्षेपित आदेश से उसके कोई हक व अधिकार प्रभावित होते है। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 73(9) में यह प्रावधित किया गया है कि "**इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा अधिरोपित शर्तो के अनुसार अनुमति देते हुए या अनुमति देने से मना करते हुए न्यास के आदेश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति देने या मना करने के आदेश की तिथि** से 30 दिनों के भीतर संभागीय आयुक्त को अपील कर सकेगा।" उक्त प्रावधानों अनुसार

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 04/2021 युआईटी (जीसीएमएस/2021/84) **पुखराज धोका भागीदार मैसर्स सनराईज पैराडाईज बनाम** **मैसर्स श्री डवलपर्स जरिये पार्टनर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति ही अपील प्रस्तुत कर सकेगा। यह न्यायालय पाता है कि **वर्तमान अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही वह आक्षेपित आदेश से उसके कोई हक व अधिकार प्रभावित होते है, ऐसे से अपीलार्थी को प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।** इस मामलें में तृतीय पक्ष द्वारा अपील पेश की गई है जिसे पेश करने का अधिकार नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार तृतीय पक्ष अपीलार्थी व्यथित नहीं है, न उनके पक्ष में कोई आदेश पारित किया, न उनके विरूद्ध। अपीलार्थी न तो कृषक/सह कृषक थे, न भूमिधारी। ऐसे में अपीलार्थी को उक्तानुसार अपील पेश करने का अधिकार नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी पक्षकार नहीं था। इस प्रकरण में हम उपरोक्त विधिक स्थिति एवं विवेचन के अतिरिक्त इस अपील के एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार किया जाना उचित समझते है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील की जा सकती है। अपील किये जाने के लिए सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 ज़ाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत अपील मेमों के साथ धारा-96 जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के तहत कोई आवेदन पेश किया है। जो व्यक्ति किसी आदेश या डिक्री में पक्षकार नहीं है, वह अपील में बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये पक्षकार नहीं बन सकते है। ऐसी कमी के साथ प्रस्तुत अपील अयोग्य एवं चलने योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1993 RRD 44 का सारांश निम्न प्रकार हैः-

"SECTION 96 -The fact that a party is an aggrieved person does not by itself entitle him to file an appeal if he was not a party to the dispute

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 04/2021 युआईटी (जीसीएमएस/2021/84) **पुखराज धोका भागीदार मैसर्स सनराईज पैराडाईज बनाम मैसर्स श्री डवलपर्स जरिये पार्टनर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

in the lower court - He must obtain the permission of the court for filing the appeal before actually doing so – An appeal filed without obtaining permission from the court of appeal is incompetent and cannot be maintained"

इसी प्रकार 1993 RRD 232 (DB) का सारांश निम्न प्रकार है:-

"CODE OF CIVIL PROCEDURE – SECTION 96- A PERSON WHO IS NOT A PARTY TO AN ORDER OR DECREE CANNOT PREFER AN APPEAL AGAINST SUCH ORDER OR DECREE WITHOUT THE LEAVE OF THE COURT – AN APPEAL FILED WITHOUT LEAVE OF THE IS INCOMPETENT."

उपरोक्त विधिक स्थिति एवं न्यायिक दृष्टांतो के आलोक में अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष उक्त आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं कर धारा-96 सीपीसी के तहत कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं की जिससे प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया धारा-96 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से ही इस बिन्दु पर खारिज योग्य है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार यह न्यायालय पाता है कि अपीलार्थी द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है एवं वह व्यथित व्यक्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्माण की अनुमति बाबत विधिक प्रकिया का पालन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

परिणामतः **अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील त्रुटिपूर्ण एवं सारहिन होने से खारिज की जाती है और अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।** पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त

संभागीय आयुक्त, उदयपुर